सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद संख्या – 20/2017

वादीगण

1. भवानीसिंह, 2. शक्तिसिंह, 3. खुशकरणसिंह, 4. चैनसिंह, 5. मोतीसिंह पि0 मिश्रिसिंह, जाति पुरोहित निवासी – जुडिया, तह0 गडरारोड, जिला – बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. मिश्रिसिंह पुत्र नवलसिंह, 2. चन्द्रा पुत्री मिश्रिसिंह, 3. गीता पुत्री मिश्रिसिंह, 4. मीना पुत्री मिश्रिसिंह जाति – राजपुरोहित, निवासी – जुडिया, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

05.06.2018	पत्रावली आज बमुकाम कैम्प झणकली में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण के वाद का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा जुडिया, पटवार मण्डल झणकली तहसील गडरारोड के खेत खसरा नम्बर 5, 100, 103, 230/4 व 282/155 रकबा 24, 21, 14, 17.06 व 52.04 बीघा कुल रकबा 128.10 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि हम पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सहदायिक की सम्पति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व0 नवलसिंह के वंशज है, जिनके आपस में पिता – पुत्र के सम्बन्ध हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को अपने पिता स्व. नवलसिंह से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से बहक बराबर हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 मिश्रिसिंह ने मौजुदा राजस्व रिकार्ड में मौजूद स्वयं के नाम की खातेदारी प्रविष्टियों का सहारा लेकर उक्त भूमि को खूर्द बुर्द करने एवं भूमाफियों के बहकावें में आकर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व किसी अन्य को बेचान करने की धमकियां दी। वादीगण का मौके पर अपने हक हिस्से में कब्जा होने तथा वादीगण की पैतृक भूमि होने से जन्म से वादग्रसत आराजी में वादीगण का हक हिस्सा बनता है अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के साथ अपने हिस्से घोषित करवाने व तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अपनी हिस्से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का खातेदारी में बहक बराबर हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमलदरामद करवाने के आदेश प्रदान करावें। वाद पंजियन कर वाद में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से जवाब तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उन्हें पक्षकार बनाया गया एवं संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में अपने साथ वादीगण को बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

स्थान पर " मेघसिंह वल्द नवलसिंह " किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मजमे आम में पूछताछ की गई, पक्षकारान के बयान कलमबद्व किये गये एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात, वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी एवं पक्षकारान के अभिकथनों का अध्ययन किया। अतः यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है वक्त बंदोबस्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा स्व0 नवलसिंह के नाम दर्ज थी व विरासत में प्रतिवादी मिश्रिसिंह को प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। वादीगण स्व0 नवलसिंह के पौत्र होने से उनका जन्मतः वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा होना साबित है। मौखिक कथनों से भी प्रत्येक पक्षकार का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जुड़िया, तहसील गडरारोड़ की खसरा नम्बर 5, 100, 103, 230/4 व 282/155 रकबा क्रमशः 24.00, 21.00, 14.00, 17.06 व 52.01 बीघा कुल रकबा 128.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि " मिश्रिसिंह वल्द नवलसिंह " के स्थान पर " मेघसिंह वल्द नवलसिंह " किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को बमुकाम कैम्प झणकली मजमे आम सुनाया गया।

खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करेंगे

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर, शिव

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओं.) शिव जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री चन्द्रभानसिह माटी आर.ए.एस.

न्याय आपके द्वार 2018 :– मुख्यालय झणकली

राजस्व वाद :– 20/2017

वादीगण

1. भवानीसिंह, 2. शक्तिसिंह, 3. खुशकरणसिंह, 4. चैनसिंह, 5. मोतीसिंह पि0 मिश्रिसिंह, जाति पुरोहित निवासी – जुड़िया, तह0 गडरारोड़, जिला – बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. मिश्रिसिंह पुत्र नवलसिंह, 2. चन्द्रा पुत्री मिश्रिसिंह, 3. गीता पुत्री मिश्रिसिंह, 4. मीना पुत्री मिश्रिसिंह जाति – राजपुरोहित, निवासी – जुड़िया, तह0 गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वंय

निर्णय

दिनांक :– 05.06.2018

वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादीगण स्वंय आज तारीख 05,06.2018 को बमुकाम कैम्प झणकली में न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जुड़िया, तहसील गडरारोड़ की खसरा नम्बर 5, 100, 103, 230/4 व 282/155 रकबा क्रमशः 24.00, 21.00, 14.00, 17.06 व 52.01 बीघा कुल रकबा 128.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि " मिश्रिसिंह वल्द नवलसिंह " के स्थान पर " मेघसिंह वल्द नवलसिंह " किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं।
खर्चा पक्षकार अपना – अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज तारीख 05.06.2018 को बमुकाम कैम्प झणकली में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO)

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, शिव

Scanned by CamScanner